राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांकः 03.09.2021

आर.ए.एस. परीक्षा–2018 में प्रोविजनल अभ्यर्थियों से वांछित दस्तावेज के संबंध में

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के साक्षात्कार के दौरान की गई पात्रता जांच में जिन अभ्यर्थियों की वांछित दस्तावेजों के अभाव में पात्रता प्रोविजनल/सशर्त रही थी, उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय ही वांछित दस्तावेज जमा कराने हेतु व्यक्तिशः पत्र दिया गया था तथा इसके पश्चात स्मरण पत्र जारी करते हुए पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई है। ऐसे प्रोविजनल/सशर्त अभ्यर्थियों की सूची मय कारण आयोग की वेबसाईट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर जारी कर दी गई है एवं एस.एम.एस. के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित भी किया गया है।

अतः उक्त परीक्षा में प्रोविजनल/सशर्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा **अंतिम अवसर प्रदान** करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची के अनुसार वांछित दस्तावेज (**मूल**) प्रेस–विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 05 दिवस की अवधि में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आयोग कार्यालय में जमा करावें।

उक्त निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी की पात्रता रद्द करते हुए चयन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। उक्त अवधि के पश्चात कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(शुभम चौधरी)
सचिव